श्रम विभाग

दिनांक 27 जून, 1984

सं० जो०वि०/एफ.डी./1/84/23138.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज भारत कारपेटस लि० फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को, नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

(1) क्या श्रमिक दिनांक 4 मई, 1984 से जब प्रबन्धकों ने कारखाने में तालाबन्दी की है, और जब तक तालाबन्दी समाप्त नहीं होती तब तक के समय के वेतन के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

(2) क्या श्रमिकों को जनवरी, 1984 से अप्रल, 1984 तक का वेतन तथा वर्ष 1982-83 का बोनस तुरन्त दिया जाए तथा वह किसी अन्य रलीफ के हकदार हैं ?

दिनांक 29 जून, 1984

सं० जो०वि०/रोहतक/143-84/23397.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मुरारका इन्जीनियरिंग वर्कस, बहादुरगढ़ (रोहतक), के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं, न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या श्रमिक वर्ष 1982-83 का 20 प्रतिशत की दर से बोनस लेने के हकदार हैं ? यदि हां तो किस विवरण में ?

मीरां सेठ,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग, ।

श्रम विभाग

दिनांक 25 जून, 1984

सं० औ.वि./रोहतक/28-84/22848.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. मैनेजिंग डायरैक्टर हरियाणा स्टेट माईनर ईरीकेशन टयूबवैल कारपोरेशन चण्डीगढ़ 2. कार्यकारी अभियन्ता हरियाणा स्टेट माईनर ईरीगेशन टयूबवैल कारपोरेशन सोनीपत रोड, रोहतक के श्रमिक श्री प्रम सिंह तथा उसके प्रबधकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद हैं ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यानिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864ए.एस.ओ.(ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रेम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?